



क्रियारानी १९८७-१५

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/ 2015 पुनरीक्षण

राजीव लोचन सिंह पुत्र दीवान माधौ सिंह

ठाकुर निवासी ग्राम सुनाज,

हाल निवासी—गुंजनपुरा, जिला—दतिया

विरुद्ध

श्रीमती हेमलता पल्ली मानीराव शिवाजीराव

आंगे निवासी कृष्णा महल चौथी मजिल

मेरिन ड्राईव मुम्बई महाराष्ट्र

न्यायालय अनुबिभागीय अधिकारी परगना कोलारस जिला—शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/2014-15/अ.मा. में पारित आदेश दिनांक 24-04-2015 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा--50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है—

1. यह कि, अनुबिभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, इस प्रकरण में विवादित भूमि का अभिलेखित भूमि स्वामी आवेदक है अनावेदक ने आवेदक की भूमि पर नामांतरण हेतु दिनांक 21-07-2014 को इस आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया कि उसने आवेदक से दिनांक 15-06-1999 को भूमि क्रय कर ली थी आवेदक ने उपरिथित होकर नामांतरण आवेदन पर आपत्ति प्रस्तुत की।

3. यह कि, नायब तहसीलदार ने आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात कोई पेशी नियत नहीं की तथा बाद में दिनांक 10-09-2014 नियत करते हुये आवेदक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाहीं की एवं बिना कोई साक्ष्य लिये नामांतरण का आवेदन स्वीकार कर लिया।

4. यह कि, नायब तहसीलदार के आदेश की जानकारी होने पर आवेदक ने अनुबिभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की एवं नायब तहसीलदार के एकपक्षीय नामांतरण आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित रखे जाने हेतु भी आवेदन प्रस्तुत किया जिसे अनुबिभागीय अधिकारी ने दिनांक 16-03-2015 को स्वीकार करते हुये नायब तहसीलदार के आदेश का पालन स्थगित किया।


5. यह कि, अनावेदक की ओर से असिमाषक ने उपरिथित होकर स्थगन आवेदन का उत्तर प्रस्तुत किया जिस पर तर्क हेतु दिनांक 23-04-2015 नियत की गयी नियत दिनांक को आवेदक की ओर से प्रार्थना की गयी कि अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हो चुका है अतः प्रकरण में अंतिम तर्क सुनकर अपील का गुण-दोषो पर निराकरण किया जाना न्यायोचित होगा परंतु अनुबिभागीय अधिकारी ने आवेदक की प्रार्थना पर विचार न करते हुये स्थगन आवेदन पर तर्क सुने एवं विवादित आदेश द्वारा स्थगन आदेश निरस्त किया है जिससे परिवेदित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी १४७ -तीन / १५

जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पदकार्थी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-6-2015	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री जी० पी० नायक, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन समाप्ति आदेश दिनांक 24-4-2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । इस न्यायालय द्वारा दिनांक 15-5-2015 को सुनवाई की जाकर 3 माह तक यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश देते हुये भूमि के विक्रय/अन्तरण पर रोक लगाई गई है, इसमें उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है । चूंकि यह प्रकरण केवल अनुविभागीय अधिकारी के रथगन समाप्ति आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है । अतः इस न्यायालय द्वारा स्थगन पर विचार करने के अलावा अन्य कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है, इसलिये प्रकरण 3 माह में निराकरण किये जाने के निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को वापस भेजा जाये ।</p> <p>2/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्क से सहमत होते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को वापस भेजा जाता है कि वे प्रकरण का निराकरण 3 माह में आवश्यक रूप से निराकरण करें ।</p>	 <p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>